संख्या 40011/02/2026-AD.VII

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

15051, ए विंग, पाँचवीं मंजिल,
कर्तव्य भवन-I, नई दिल्ली
दिनांक: 30 मार्च, 2026

<u>परिपत्र</u>

विषय: सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को हिंदी परामर्शदाता के रूप में नियुक्त करने के संबंध में।

वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों (वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी/सहायक निदेशक (राजभाषा) स्तर) से परामर्शदाता के रूप में संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह नियुक्ति प्रारंभिक रूप से एक वर्ष की अवधि के लिए या जब तक संबंधित पद पर नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती, जो भी पहले हो, तक के लिए होगी। पात्रता मानदंड, कार्य का विवरण आदि निम्नानुसार है:

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**पात्रता मानदंड/अनुभव**
हिंदी परामर्शदाता	3	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी/सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद से सेवानिवृत्त अधिकारी
		अनुभव: क. केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में अंग्रेजी से हिंदी एवं विलोमत: अनुवाद का 05 वर्षों का अनुभव। ख. भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य-निष्पादन का 05 वर्षों का अनुभव। ग. उच्च-स्तरीय एवं संवेदनशील संसदीय/कैबिनेट/विभागीय दस्तावेजों के अनुवाद एवं पुनरीक्षण का अनुभव। घ. राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा नियमों/वार्षिक कार्यक्रम के प्रावधानों की समझ।
		कार्य का विस्तृत विवरण: क. कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, मंत्रिमंडल टिप्पणी, अधिसूचना, मासिक सारांश, संसद प्रश्नोत्तरी, माननीय मंत्री कार्यालय से प्राप्त अनुवाद कार्य, द्विपक्षीय/बहुपक्षीय करार, संसदीय स्थायी समिति, लोक लेखा समिति, जांच समिति, वार्षिक रिपोर्ट, अनुदानों की मांग, अनुपूरक अनुदान, बजट संबंधी कार्य, आर्थिक

		समीक्षा, परिणामी बजट, अनुदान की विस्तृत मांगों सहित सभी प्रकार का अनुवाद एवं पुनरीक्षण कार्य। ख. भारत सरकार की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन।
		वांछनीय: कंप्यूटर संचालन तथा **ई-ऑफिस** का ज्ञान।
		आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार **63 वर्ष से कम आयु** के सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी के आवेदन को वरीयता दी जाएगी

2. इन परामर्शदाताओं की नियुक्ति की शर्तें **व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3-25/2020-E.III.A दिनांक 09.12.2020 एवं 03-25/2020-E.III.A(Pt.) दिनांक 18.10.2023** के अनुसार होंगी।

3. पात्र एवं इच्छुक सेवानिवृत्त केंद्रीय सरकारी अधिकारी, जो **अनुबंध-I** में उल्लिखित शर्तों को स्वीकार करने के इच्छुक हों, वे **अनुबंध-II** में दिए गए बायोडाटा को विधिवत भरकर तथा **पीपीओ/पेंशनर कार्ड की प्रति** संलग्न कर इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से **21 दिनों के भीतर** ई-मेल admin.7@gov.in पर भेज सकते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को आवश्यकता अनुसार **साक्षात्कार** के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में भाग लेने के लिए **कोई टीए/डीए देय नहीं होगा**।

30/03/2026

(विजय शंकर उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार
टेली: 2401 2871

प्रेषित:

1. सभी मंत्रालयों/विभागों के निदेशक/उप सचिव (प्रशासन)।
2. अवर सचिव, CS-I (समन्वय), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली – इस अनुरोध के साथ कि परिपत्र को DoPT की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

अनुबंध-I

सामान्य नियम एवं शर्तें

1. संविदात्मक नियुक्ति पूर्णतः अनुबंध (Contract) के आधार पर होगी तथा यह वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली में स्थित कार्यालय में होगी।
2. परामर्शदाता का निवास स्थान अधिमानतः दिल्ली / एनसीआर होना चाहिए।
3. मासिक पारिश्रमिक व्यय विभाग के दिनांक 09.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 3-25/2020-E.IIIA तथा दिनांक 18.10.2023 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 03-25/2020-E.IIIA/Pt. के अनुसार देय होगा। अनुबंध की पूरी अवधि के दौरान पारिश्रमिक की राशि अपरिवर्तित रहेगी। अनुबंध अवधि में कोई वार्षिक वृद्धि / प्रतिशत वृद्धि नहीं होगी।
4. आयकर तथा अन्य कोई कर, यदि लागू हो, प्रचलित दरों के अनुसार स्रोत पर काटे जाएंगे और उसके बाद ही पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।
5. आवास से कार्यस्थल तक आवागमन के उद्देश्य से परिवहन भत्ता (Transport Allowance) के रूप में एक उपयुक्त एवं निश्चित राशि प्रदान की जाएगी, जो सेवानिवृत्ति के समय लागू दर से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार निर्धारित राशि नियुक्ति अवधि के दौरान अपरिवर्तित रहेगी।
6. परामर्शदाता किसी अन्य प्रकार के भत्तों तथा आवासीय सुविधा के हकदार नहीं होंगे। उन्हें टेलीफोन सुविधा, परिवहन सुविधा आदि भी प्रदान नहीं की जाएगी।
7. परामर्शदाता की नियुक्ति प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा जब तक उक्त पद पर नियमित नियुक्ति नहीं हो जाती, जो भी पहले हो, तक के लिए होगी। इस अवधि को इस मंत्रालय के विवेकानुसार समीक्षा के अधीन बढ़ाया जा सकता है।
8. आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार 63 वर्ष से कम आयु के सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी को वरीयता दी जाएगी।
9. प्रत्येक पूर्ण सेवा माह के लिए 1.5 दिन की दर से सवेतन अवकाश प्रदान किया जा सकता है। यदि नियुक्ति अवधि बढ़ाई जाती है तो एक कैलेंडर वर्ष से अधिक अवकाश का संचय या अग्रेषण अनुमन्य नहीं होगा। अनुबंध की समाप्ति पर अप्रयुक्त अवकाश के बदले कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
10. अभ्यर्थी को भारत सरकार के साथ गोपनीयता संबंधी एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे, जिसमें आचार-संहिता तथा ईमानदारी से संबंधित प्रावधान शामिल होंगे।
11. यदि परामर्शदाता निर्धारित समय-सीमा के भीतर सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में असमर्थ रहता है, या उसका कार्य मंत्रालय के लिए संतोषजनक नहीं पाया जाता है, या उसके आचरण में ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा की कमी पाई जाती है, तो मंत्रालय उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है।
12. मंत्रालय बिना किसी पूर्व सूचना तथा बिना कोई कारण बताए भी किसी भी समय परामर्शदाता की सेवाएं समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति से संबंधित पद पर स्थायी नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।
13. कार्य की आवश्यकता होने पर परामर्शदाताओं को शनिवार, रविवार तथा अन्य राजपत्रित अवकाशों में भी कार्यालय बुलाया जा सकता है या कार्यालय समय के बाद भी रुकने के लिए कहा जा सकता है। इसके लिए कोई अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।
14. परामर्शदाता अपनी नियुक्ति अवधि के दौरान, यदि लागू हो, तो पेंशन तथा पेंशन पर महंगाई राहत प्राप्त करते रहेंगे। परामर्शदाता के रूप में उनकी नियुक्ति को पुनर्नियोजन (Re-employment) नहीं माना जाएगा।
15. साक्षात्कार में उपस्थित होने या नियुक्ति ग्रहण करने के लिए परामर्शदाताओं को कोई टीए/डीए देय नहीं होगा। उन्हें सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा की अनुमति भी नहीं होगी।
16. यदि अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई घोषणा या जानकारी असत्य पाई जाती है, अथवा यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने जानबूझकर किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया है, तो उसे नियुक्ति से हटाया जा सकता है तथा सरकार आवश्यक समझे तो अन्य कार्रवाई भी कर सकती है।

अनुबंध-II

वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र

1	नाम	
2	सेवानिवृत्ति के समय पदनाम	
3	पी.पी.ओ. संख्या (PPO No.)	
4	जिस वेतन स्तर में सेवानिवृत्त हुए (Pay Level)	
5	मंत्रालय/विभाग का नाम, जहां से सेवानिवृत्त हुए	
6	सेवानिवृत्ति की तिथि	
7	पत्राचार का पता	
8	संपर्क मोबाइल संख्या: वैकल्पिक संपर्क संख्या:	
9	ई-मेल आईडी	
10	शैक्षणिक योग्यता	
11	अनुभव का विवरण	कृपया नीचे दिए गए प्रारूप में जानकारी प्रदान करें:

मंत्रालय/विभाग का नाम	अवधि	पदनाम	संभाले गए कार्यों का संक्षिप्त विवरण

12. उक्त नियुक्ति के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में अन्य प्रासंगिक जानकारी, यदि कोई हो (आवश्यक होने पर पृथक पृष्ठ संलग्न करें।)

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ

कि सेवानिवृत्ति के समय मेरे विरुद्ध सतर्कता (विजिलेंस) संबंधी कोई मामला लंबित नहीं था। मैंने इस दस्तावेज़ को पढ़ लिया है और परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।

हस्ताक्षर: ____________________

स्थान: ____________________

नाम: ____________________

दिनांक: ____________________